02/07/25

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। उभय पक्ष उप.। प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय शामिल किया जाकर। पत्रावली बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

117/13
03/7/25

GCMS
2022/102

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.04 14:02:31 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 47/2022

GCMS:: 2022/102

–: अनवान :–

1. दलीप
2. चेतराम
3. रेवन्ताराम
4. प्रेमकुमार
5. जगदीश
6. सार्दुलाराम
7. अमीचंद

} पुत्रगण सुरजाराम जाति जाट निवासी ठेठार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगाानगर राजस्थान।

... **प्रार्थीगण**

बनाम

1. मंजूदेवी पत्नी राजेन्द्रकुमार जाति जाट निवासी आदर्श नगर हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

1/1. ओमप्रकाश पुत्र शंकरलाल जाति जाट निवासी 91 आर.डी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

2. उगमालसिंह पुत्र पीरदानसिंह जाति राजपूत निवासी ठेठार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी पंचायत समिति के पास सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
4. मूलसिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत निवासी ठेठार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
5. कुम्भाराम पुत्र किशनाराम
6. गुड्डीदेवी पत्नी किशनाराम
7. मोटाराम पुत्र किशनाराम
8. मोहनलाल पुत्र किशनाराम
9. सरोज पुत्री किशनाराम
10. सोहनलाल पुत्र किशनाराम

} जाति हरिजन निवासी ठेठार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

11. तीजांदेवी
12. कमलादेवी

} पुत्रीयां सुरजाराम जाति जाट निवासी ठेठार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

....**अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.04 14:02:31 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितः–

1. श्री भागीरथ बिश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री राकेश सारस्वत, अधिवक्ता अप्रार्थी सं...
3. श्री अमित कुमार सैनी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 11, 12
4. श्री कमलदत्त शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1/1
5. अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 10 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

– :: निर्णय ::–

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

दिनांकः– 02.07.2025

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 8(2) कॉलोनी कण्डीशन 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण 1 ता 7 एवं अप्रार्थी संख्या 11, 12 के संयुक्त खाते में ग्राम ठेठार पटवार हल्का ठेठार भू.अभि.नि.क्षेत्र ठेठार तहसील सूरतगढ़ की जमाबंदी संवत 2071 ता 2074 के खाता सख्या 163 नया, 135 पुराना के खसरा नम्बर 92/4, 92/5 हाल 254/92 व 255/92 में 6.2620 हैक्टेयर बारानी रकबा दर्ज राजस्व रिकार्ड होकर कब्जा काश्त में चला आ रहा हैं। प्रार्थीगण का कहना हैं कि गांव ठेठार से गांव खेदासरी जाने वाली पक्की सड़क पर गांव ठेठार की भूमि जो चक 3 टी.टी.डी.(ए) के पत्थर नम्बर 170/64 के किला नम्बर 1/1, 10/1, 11/1, 20/1, 21/1 प्रत्येक बीघा में रास्ता स्वीकृत हैं। प्रार्थीगण को अपने खेत तक जाने के लिए मंजूरशुदा रास्ते से इसी चक 3 टी.टी.डी. ए की जमाबंदी अप्रार्थीया न. 1 मंजू देवी के नाम की में खाता सख्या 4 के पत्थर नम्बर 170/63 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में 0.0250 हैक्टेयर कुल 0.1270 हैक्टेयर अनकमाण्ड में व इससे आगे उतर की तरफ अप्रार्थी न. 2 उगमालसिंह के नाम गांव ठेठार की ही रोही के खसरा नम्बर 315/94 में करीब 4 बीघा लम्बाई में 2–2 बिस्वा रास्ता इस खसरा की 0.1010 हैक्टेयर बारानी व इससे आगे उतर की तरफ खसरा नम्बर 261/94 में करीब 6 बीघा 10 बिस्वा लम्बाई में व खसरा नम्बर 269/96 में करीब 1 बीघा लम्बाई में प्रत्येक बीघा में 2 – 2 बिस्वा रास्ता जो दोनो खसरो में 0. 1650 हैक्टेयर व 0.0250 हैक्टेयर हैं जो वन विभाग के नाम से हैं जो प्रतिवादी न. 3 पर पक्षकार हैं व इससे आगे खसरा नम्बर 96/1 में करीब 3 बीघा लम्बाई में 2–2 बिस्वा के हिसाब से 0.0750 हैक्टेयर है जो अप्रार्थी न. 4 मूलसिंह के नाम से टी.सी. पर हैं, में रास्ता स्वीकार किया जावे। यह रास्ता मौका पर बहुत पुराने समय से चल रहा हैं व प्रार्थीगण इसी रास्ते से अपने खेतो तक जाने आने का उपयोग करते हैं इस रास्ते के अलावा और कोई सुविधाजनक नजदीक रास्ता नहीं हैं जिससे प्रार्थीगण अपने खेतो तक आ जा सके। चाहे जाने वाले रास्ता स्वीकार करवाने की अत्यांतिक आवश्यकता हैं, इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज किया जावे व अप्रार्थीगण के नाम से रास्ते के स्वीकृत वाले रकबा को उनके खाते से कम किया जावे व प्रार्थना पत्र के निर्णय होने तक चालू रास्ते को बंद न किये जाने का आदेश जारी कर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश पारित किये गये व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र सुना जाकर दिनांक 14.03.2022 को स्थगन आदेश जारी किया गया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित चालू रास्ते को आईन्दा आदेश तक बंद नहीं किया जावे। दिनांक 07.06.2022 को अप्रार्थी संख्या एक जरिये अभिभाषक उपस्थित हुए व अप्रार्थीगण संख्या 2, 6, 8, 10 नोटिस की तामील होने के बावजूद भी हाजिर नहीं आने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई व अन्य अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करने के आदेश दिये गये जिस पर नोटिस तामिल जरिये डाक रजिस्टर्ड नोटिस भेजने पर भी उपस्थित नहीं आने पर दिनांक [illegible]08.20[illegible] को अप्रार्थी संख्या 3, 4, 5, 7, 9 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी [illegible] 12 द्वारा दिनांक 08.12.2022 को इकबाल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रास्ता को [illegible] किये जाने पर अपनी सहमती प्रकट की गई। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 2[illegible].2022 को प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के खेत मे से कोई चालू रास्ता नहीं हैं। प्रार्थीगण अन्य रास्ते से अपने खेतो को जाते हैं। प्रार्थीगण का रास्ता स्वीकृत किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र गैरकानूनी हैं व सही तथ्यो पर आधारित नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं। इसी दौरान प्रार्थी रेवन्ताराम द्वारा दिनांक 11.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.04 14:02:31 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

11.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने नाम का रकबा पत्थर नम्बर 170/63 चक 3 टी.टी.डी. ए का जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा ओमप्रकाश पुत्र शंकरलाल को बेचान कर दिया हैं व खरीददार के नाम से इन्तकाल सख्या 690 दिनांक 10.07.2024 भी दर्ज हो गया हैं। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1/1 पर पक्षकार बनाया जाकर जरिये नोटिस तलब करने पर वह जरिये अभिभाषक उपस्थित आया व बार बार अवसर देने पर भी अपना कोई जवाब नहीं देने पर अप्रार्थी संख्या 1/1 का जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया जाकर बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओ पर ही बहस करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में चाहे जाने वाले रास्ते के अलावा अन्य कहीं से भी प्रार्थीगण को अपने खेतो को काश्त करने के लिए जाने आने का अन्य कोई रास्ता नहीं हैं न ही अन्य कोई विकल्प हैं। बहुत लम्बे समय से यही रास्ता चल रहा हैं। मंजूरशुदा रास्ते से आगे अपने खेतो तक जाने के लिए मांगे गये रास्ते से नजदीक अन्य कोई स्थान नहीं हैं जो कम दूरी का हो जिससे प्रार्थीगण अपने खेतो तक जा सके। कानून की यह स्पष्ट मन्शा हैं कि एक काश्तकार को अपने खेत तक जाने के लिए मंजूरशुद्धा रास्ते से आगे जो कम दूरी का स्थान हो वहां से काश्तकार की सुविधा उपलब्ध करवायी जावे व अपने कथन के समर्थन में उच्च अदालतो द्वारा रास्ते के संबंध में दिये गये निर्णयों में जो सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये उनके दृष्टान्त भी प्रस्तुत किये व निवेदन किया कि प्रार्थीगण का रास्ता स्वीकार करने का प्रार्थना पत्र मंजूर किया जाकर जो वर्षो से रास्ता मौका पर चालू हैं वह स्वीकार किया जाकर उसको राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करने का आदेश तहसीलदार सूरतगढ़ को जारी किया जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

अप्रार्थी न. 1 के अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उसके द्वारा अपने नाम के रकबा को अप्रार्थी न. 1/1 को बेचान कर बैयनामा उप–पंजीयक कार्यालय में पंजीबद्ध करवा कर भूमि का कब्जा खरीददार प्रतिवादी न. 1/1 को सौप दिया गया हैं इसलिए उन्हे कुछ भी नहीं कहना हैं। अप्रार्थी संख्या 1/1 के अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उसने जैर प्रकरण भूमि चक 3 टी.टी.डी. ए की पत्थर नम्बर 170/63 में कोई रास्ता मंजूरशुदा नहीं हैं व उसमें पूरी रकम देकर भूमि खरीद की हैं। प्रार्थीगण किसी अन्य स्थान पर रास्ता स्वीकार करवाने की कार्यवाही करें। मुझ अप्रार्थी न. 1/1 के खेत में से रास्ता स्वीकार नहीं किया जावे व अपनी बहस में उच्च अदालतो द्वारा पारित निर्णयों का भी हवाला दिया गया। अन्य कोई भी पक्षकार हाजिर नहीं आये।

योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया व उच्च अदालतो द्वारा पारित निर्णयों मे जो सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं व रास्ता स्वीकार करते समय मुख्य रूप से किन किन कानूनी व तथ्यात्मक बिन्दुओं को ध्यान में रखना चाहिए, को सस्म्मान पढ़ा गया व मनन किया गया व तहसील से आयी रिपोर्ट व पत्रावली में सलंग्न अन्य साक्ष्यों व शपथ पत्रों का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तहसील से आयी रिपोर्ट के साथ जो नजरी नक्शा संलग्न हैं उसमें चक 3 टी.टी.डी. ए के पत्थर नम्बर 170/64 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में 2–2 बिस्वा में रास्ता स्वीकृत हैं व इससे उतर दिशा वाले पत्थर नम्बर 170/63 के किला नम्बर 1–10–11–20–21 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा रास्ता पत्थर लाईन पर रास्ता स्वीकार क[illegible] हैं व इससे आगे ग्राम ठेठार के खसरा नम्बर 315/94, 261/94, 269/[illegible] व 96[illegible] में रास्ता 2–2 बिस्वा प्रत्येक बीघा की लम्बाई के हिसाब से प्रार्थीगण के खेत [illegible] के खसरा नम्बर 254/92 व 255/92 तक रास्ता स्वीकार होने पर प्रार्थी[illegible] अपने खेत तक पंहुच सकते हैं जो तहसील से रिपोर्ट आयी हैं उसके अनुसार प्रस्तावित रास्ता की अत्यांतिक आवश्यकता हैं। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं अन्य कोई विवाद स्थगन मुताबिक रिकार्ड नहीं हैं। प्रस्तावित रास्ते में मकान पेड़ आदि नहीं हैं इस रिपोर्ट पर पटवारी हल्का, भू.अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार के हस्ताक्षर हैं व सभी पक्षकारो को मौका निरीक्षण के समय उपस्थित रहने की सूचना दी जानी पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्यो से साबित हैं। पत्रावली वर्ष 2022 से चल रही है, रास्ते का प्रकरण हैं जिसका जितना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.04 14:02:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सम्भव हो बिना देरी के निर्णय किया जाना चाहिए ताकि सबंधित काश्तकारो को अपने खेतो तक आने जाने मे व्यवधान पैदा न हो व काश्तकारो में विवाद भी पैदा न हो व काश्तकारो में सौहादपूर्ण वातावरण बना रहे। अदालत द्वारा रास्ता स्वीकृत किये जाने के प्रार्थना पत्र पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत जवाब व तहसील से आयी रिपोर्ट व नजरी नक्शा व रिपोर्ट का अध्ययन व मनन करने व धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व न्यायिक दृष्टान्तो का सम्मानपूर्वक अध्ययन किये जाने पर चाहे जाने वाले रास्ते को स्वीकार किया जाना कानून सम्मत व उचित प्रतीत होता हैं।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क आरटीए का आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि रोही ग्राम ठेठार की जमाबंदी संवंत 2071 ता 2074 के खाता सख्या 163 नया 135 पुराना के खसरा नम्बर 92/4 हाल 254/92 व 92/5 हाल 255/92 तक पंहुचने के लिए चक 3 टी.टी.डी. ए की जमाबंदी संवंत 2073–2076 के खाता संख्या 4 के पत्थर नम्बर 170/63 मु.न. 34 के किला नम्बर 1–10–11–20–21 के पश्चिमी पासा में पत्थर लाईन पर प्रत्येक बीघा में 0.0250 हैक्टेयर(2 बिस्वा) इस पत्थर में कुल 0.1270 हैक्टेयर रकबा जो अप्रार्थी न. 1/1 ओमप्रकाश के नाम से हैं व इस पत्थर से उतर की तरफ चिपते हुए रोही ग्राम ठेठार के अप्रार्थी न. 2 उगमालसिंह के नाम से जमाबंदी संवंत 2071 ता 2074 के खाता संख्या 6 नया, 3 पुराना के खसरा नम्बर 315/94 में दक्षिण से उतर की तरफ चार बीघा लम्बाई में प्रत्येक बीघा में 0.0250 हैक्टेयर(2 बिस्वा) इस खसरा में 0.1010 हैक्टेयर रकबा व रोही ग्राम ठेठार की जमाबंदी संवंत 2071 ता 2074 के खाता संख्या 1 का खसरा नम्बर 96/1 में दक्षिण से उतर की तरफ 1 बीघा लम्बाई में एक बीघा में 0.0250 हैक्टेयर(2 बिस्वा) इस खसरा में 0.0250 हैक्टेयर बारानी भूमि में चालू रास्ते को इस रकबा के डी. एल.सी. दर की दुगनी राशि जमा करवाने की शर्त पर स्वीकार किया जाता हैं। प्रार्थीगण को हिदायत दी जाती हैं कि वो अप्रार्थी न. 1/1 ओमपप्रकाश अप्रार्थी न. 2 उगमालसिंह के नाम दर्ज भूमि की डी.एल.सी. की राशि से दुगनी राशि भूमि की किस्म कमांड/अनकमाण्ड/बारानी के हिसाब से व खसरा नम्बर 96/1 जो रकबा राज हैं, के राज के खाते में(चूंकि इस खसरा का अप्रार्थी न. 4 मूलसिंह टी.सी. धारक होने से राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं) राशि तहसील में जमा करवाये। तहसीलदार सूरतगढ़ को आदेश दिया जाता हैं कि वो रास्ते में स्वीकृत होने वाले रकबा की राशि उन्हीं काश्तकारो के नाम से जमा करावे व राज भूमि के रास्ते स्वीकार की राशि राज्य सरकार के खजाने में जमा करवाये। राशि जमा हो जाने पर स्वीकृत किये गये रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गैं.मु. रास्ता दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी न. 3 के नाम रकबा रोही ठेठार व अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 10 के नाम से दर्ज भूमि में रास्ता स्वीकृत करने बाबत अनुतोष निरस्त किया जाता हैं। तहसीलदार सूरतगढ़ के नाम से तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक [illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.04 14:02:31 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(सन्दीप कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)